न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी—जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 20/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
वेहनाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी		1. राणाराम पुत्र रामाराम उर्फ रायमलराम 2. सवाईराम पुत्र रामाराम उर्फ रायमलराम 3. मालीदेवी पत्नि राणाराम पुत्र रामाराम उर्फ रायमलराम 4. पेमाराम पुत्र टीकमाराम 5. लालाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी 6. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादी।
2. श्री रामजीवन विशनाई वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3
3. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रतिवादी सं. 5
4. पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 30.01.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 की पुश्तैनी सम्पति की सयुंक्त हक एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 316,31622 व 318 कुल रकबा 17.00 बीघा ग्राम सजाड़ा तहसील सिणधरी में, खसरा संख्या 456 रकबा 68.01 बीघा ग्राम चाडो की ढाणी में तथा खसरा संख्या 153 रकबा 149.02 बीघा ग्राम महादेवनगर तहसील सिणधरी में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के पिता टीकमाराम के नाम से वक्त बंदोबस्त दर्ज हुई थी। टीकमाराम के 4 पुत्र— वादी वेहनाराम, प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता पति रामाराम उर्फ रायमलराम प्रतिवादी सं. 4 पेमाराम एवं प्रतिवादी सं. 5 लालाराम — थे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में 1/4—1/4 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी सं. 4 व 5 तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

1 से 3 का है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रत्येक थौक की अपने-अपने हिस्से की भूमि पर ढाणियां, टांके, चारवाड़े आदि निर्मित है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता-पति रामाराम उर्फ रायमलराम जो संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान थे, ने चालाकी करके उक्त वादग्रस्त भूमि अपने पिता टीकमा की मरणासन्न अवस्था में, उन पर दबाव बनाकर फैमिली सैटलमेंट के आधार पर अपने अकेले के नाम लिखवा ली तथा उपपंजीयक बाड़मेर से उक्त फैमिली सैटलमेंट लिखावट का पंजीयन करवा लिया। जिसके आधार पर उक्त समग्र वादग्रस्त भूमि रामाराम उर्फ रायमलराम के नाम दर्ज हो गयी और वादी व प्रतिवादी सं. 4 व 5 बावजूद पुश्तैनी हक के वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से सदैव के लिए महरूम कर दिये गये। अतः वादीगण ने उक्त फैमिली सैटलमेंट को अपने 1/4 हिस्से के हक की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाते हुए तथा स्वयं एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित कर खातेदार प्रत्येक थौक का वादग्रस्त भूमि में 1/4-1/4 हिस्सा दर्ज करवाने तथा अपने 1/4 हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने की प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वाबजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 5 के इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों की ताईद करते हुए वादग्रस्त भूमि में टीकमाराम के चारों पुत्रों के थौकों में से प्रत्येक थौक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से वकील श्री रामजीवन विशनोई ने उपस्थित होकर इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि वादी वाद प्रस्तुतीकरण में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। उसने वादग्रस्त भूमि, जिसमें केवल रामाराम को पोकराराम द्वारा खातेदारी प्रदान की है का अपने वाद में उल्लेख किया हे, किन्तु पोकराराम की मौजा खारा महेचान अवस्थित अन्य खातेदारी भूमि, जिसमें पोकराराम के शेष तीनों पुत्रों की ही प्रविष्टि है और रामाराम उर्फ रायमलराम को भूमि नहीं दी गई है, का अपने वाद में कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वादी ने निष्पादित पंजीयन फैमिली दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये यह वाद प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर न तो वादी का कब्जा काश्त है ओर न हक ही। करीब 60 साल के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वाद म्याद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद मए खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम सजाड़ा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 316 रकबा 5–12 बीधा, खसरा संख्या 316/2 रकबा 00–14 बीघा, खसरा संख्या 318 रकबा 11–14 बीघा एवं ग्राम चाड़ों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 456 रकवा 68–01 बीधा एवं महोदव नगर की खेत खसरा संख्या 153 रकबा 149–02 बीधा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए वादी अपना 1/4 हिस्सा धेाषित करवाने का हकदार है

जिम्में–वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम सजाडा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 316 रकबा 5–12 बीधा, खसरा संख्या 316/2 रकबा 00–14 बीधा, खसरा संख्या 318 रकबा 11–14 बीघा एवं ग्राम चाड़ों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 456 रकबा 68–01 बीधा एवं महोदव नगर की खेत खसरा संख्या 153 रकबा 149–02 बीघा भूमि के संबंध में निष्पादित बंटवाड़ा फैमिली सेन्टलमेन्ट को वादी के [illegible] तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने का वादी हकदार है

जिम्मे–वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि में वादी द्वारा मुख्य सहायता खातेदारी अधिकारों की घोषणा की चाही गई है। फैमिली सेन्टलमेन्ट बंटवाड़ा को वादी द्वारा केवल अपने अधिकारों व हितों तक शून्य घोषित करने की इस्तदुआ चाही है जो वादी के अधिकारों की घोषणा में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले जो वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार होने के कारण चलने योग्य है

जिम्में–वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि में वादी अपने 1/4 हिस्से की घोषणा के बाद वादी अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का हकदार है

जिम्में–वादी

5. आया वादग्रस्त भूमि में वादी द्वारा यह वाद स्वर्गीय टीकमाराम द्वारा किये गये फैमिली सेन्टलमेन्ट बंटवाड़ा के विरूद्ध किया है, जो पंजीयन दस्तावेज है। जिसे सिविल न्यायालय से रद्ध करायें बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है

जिम्में–प्रतिवादी संख्या 01 से 3

6. आया वादग्रस्त भूमि पर मुतवफी स्वर्गीय रामा उर्फ रायमल का वर्ष 1962 से कब्जा काश्त एव उसके बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 3 का आदिनांक तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण वादी का वाद चलनें योग्य नहीं है

जिम्में–प्रतिवादी संख्या 01 से 3

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

7. वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है व न उनके द्वारा वाद में कब्जा प्राप्त करने की इस्तदुआ मांगी गई है। इस कारण वादी का वाद चलनें योग्य नहीं है

जिम्में–प्रतिवादी संख्या 01 से 3

8. आया वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद लिखित फैमिली बंटवाडा सन 1962 में हुआ था। जिसके करीब 60 साल बाद वाद पेश किया है. जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है

जिम्में–प्रतिवादी संख्या 01 से 3

8. आया वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक का 1/4,1/4 हिस्सा पुश्तैनी खातेदारी का है और इसी अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा अपने पिता पर गलत ढंग से दबाव बनाकर फैमिली बंटवाड़ा गलत करवा दिया था। जो निष्पादित फैमिली बंटवाड़ा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

जिम्में–प्रतिवादी संख्या 5

9. अन्य सहायता

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह वेहनाराम पी.डब्ल्यु 01, भलाराम पी. डब्ल्यु 02 नीम्बाराम पी. डब्ल्यु 03 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में टीकमाराम के नाम जारी पर्चालगान EXP-01, ग्राम चाडों की ढाणी वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 EXP-02, इसी ग्राम की जमाबन्दी खाता सं. 211 EXP-03, खाता सं. 115 की जमाबन्दी EXP-04, महादेवनगर की नक्शा ट्रेस EXP-5, मौजा सजाड़ा का वादग्रस्त भूमि का नक्शा ट्रेस EXP-06, फैमिली बंटवाड़ा की नकल EXP-07, नकल ना.क. 44 दिनांक 14.06.1963 EXP-08, ना.क.सं. 133 ग्राम खारा महेचान EXP-09, रामाराम द्वारा खारा महेचान की भूमि का किया गया बेचान EXP-10 एवं इसके आधार पर पारित ना.क. 176 ग्राम खारा महेचान EXP-11, वादग्रस्त भूमि की खतौनी बन्दोबस्त EXP-12, ना.क. स. 35 ग्राम खारा महेचान EXP-13,ना.क. 36 ग्राम खारा महेचान EXP-14, ना.क.सं. 117 ग्राम खारा महेचान EXP-15, नकल प्रथम खतौनी ग्राम चाडों की ढाणी EXP-16, वेहनाराम की आधार कार्ड EXP-17, वेहनाराम का जन्म प्रमाण पत्र EXP-18, प्रस्तुत किये।

वकील वादी की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वादी के विद्वान वकील ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त उसके पिता पोकराराम के नाम से दर्ज हुई थीं, जिनके 4 पुत्र– वादी, प्रतिवादी सं. 4 व 5 तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

के पिता–पति थे। इस प्रकार प्रत्येक थौक का वादग्रस्त भूमि में 1/4–1/4 हिस्सा है। किंतु परिवार के कर्ता खानदान रामाराम ने समग्र वादग्रस्त भूमि का फैमिली सेटलमेंट अपने अकेले के नाम पोकराराम से उनकी मरणासन्न अवस्था का लाभ उठाकर करवा लिया। जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावद्यानुसार वादग्रस्त भूमि पर पोकराराम के चारों पुत्रों का बहिस्सा बराबर हक एवं कब्जा काश्त रहा है। अतः वादी वादग्रस्त भूमि में स्वयं एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने तथा पोकराराम द्वारा निष्पादित फैमिली सैटलमेंट को अपने हिस्से की सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा अपने 1/4 हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का तनकीवार विवेचन किया।

तनकी सं. 1 से 03:– तनकी सं. 1 वादी की वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में अपनी खातेदारी घोषित करवाने, तनकी सं. 2 वादी की निष्पादित फैमिली सैटलमेंट को अपने हिस्से की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा तनकी सं. 3 वाद की विचारणीयता इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के वादी के वाद कथन से सम्बन्द्व हे, जिसे सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है। बन्दोबस्त रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त मुतवफी टीकमाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बन्दोबस्त रिकार्ड में दर्ज भूमि हिंदु उतराधिकार अधिनियम के प्रावद्यानानुसार उसी परिवार में जन्में वारिसों के लिए पुश्तैनी भूमि कहलाएगी और भूमि में उनका जन्मतः हक होगा। वादी, प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता–पति रामाराम उर्फ रायमलराम, प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 मुतवफी टीकमाराम के जाइन्दा पुत्र है और उनका वादग्रस्त भूमि में जन्मतः बहिस्सा बराबर हक निहित है। पोकराराम द्वारा उक्त चारों में से एक पुत्र के नाम समग्र भूमि का किया गया हस्तांतरण विधिक रूप से शून्य व निष्प्रभावी है। जिसे शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय में निहित है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने अपने जवाब में दलील की है कि पोकराराम की मौजा खारा महेचान अवस्थित खातेदारी भूमि से सम्बन्धित तथ्य का अपने वाद में कोई हवाला नहीं दिया है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता–पति के नाम का इन्द्राज नहीं पोकराराम के शेष तीनों पुत्र का ही नाम दर्ज है, किंतु प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा खारा महेचान अवस्थित खातेदारी में से कुछ भूमि पोकराराम ने अपने जीवनकाल में ही जरिये रजिस्ट्रेशन बेचान अन्य को हस्तातरिंत कर दी थी और शेष भूमि में उसके चारों पुत्रों का जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO पिण्डवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण इन्द्राज हुआ था, जिसमें से रामाराम उर्फ रायमलराम के हिस्से की भूमि पोकराराम के शेष तीनों पुत्रों ने जरिये रजिस्ट्री क्रय कर ली थी। इस प्रकार पोकराराम द्वारा वादग्रस्त भूमि के बदले वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 सं. 5 को खारा महेचान अवस्थित खातेदारी में से भूमि दिये जाने की दलील तथ्यहीन है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहान के शपथपत्रों से वादग्रस्त भूमि पर पोकराराम के चारों पुत्रों के परिवारों का बहिस्सा बराबर काश्त होने की पुष्टि होती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। जहां तक किसी दावे की विचारणीय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, वह मूल कथन के "पिथ एवं सिक्वेंस" पर निर्भर करता है। वादी ने अपने दावे में पोकराराम द्वारा पोकराराम द्वारा रायमलराम के पक्ष में निष्पादित फैमिली सैटलमेंट दस्तावेज को निरस्त किये जाने की नहीं, बल्कि उसे अपने हक की सीमा तक शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही है और किसी दस्तावेज को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार निःसन्देह इसी राजस्व न्यायालय में निहित है। लिहाजा तनकी सं. 1 से 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं.4– वादी की अपने वादग्रस्त भूमि में निहित 1/4 हिस्से के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ से सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ से सम्बद्व है। चूंकि तनकी सं. 1 से 3 के विवेचन में वादी स्वयं को वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से का हकदार साबित करने में सफल रहा है। अतः उसके पक्ष में 1/4 हिस्से के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी सं. 4 भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 से 8– तनकी सं. 5 पोकराराम द्वारा रामाराम के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत फैमिली सैटलमेंट को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये वाद चलने योग्य नहीं होने, तनकी सं. 6 वादग्रस्त भूमि पर रामाराम परिवार का ही कब्जा काश्त होने तथा वादी का कब्जा नहीं होने के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं होने, तनकी सं. 7 वादी द्वारा वाद बिना कब्जा प्राप्ति की इस्तदुआ चाहे प्रस्तुत किया गया होने से खारिज योग्य होने तथा तनकी सं. 8 करीब 62 साल बाद प्रस्तुत किये जाने के कारण वाद म्याद बाहर होने के प्रतिवादी सं. 1 से 3 के प्रतिकथन से सम्बन्द्व है। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद में कंही भी पंजीयन दस्तावेज फैमिली सैटलमेंट को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ नहीं चाही है, बल्कि उसने पोकराराम द्वारा निष्पादित उक्त पंजीकृत दस्तावेज को अपने 1/4 हिस्से की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही है और जैसा कि पूर्व तनकियात के विवेचन से स्पष्ट है कि यह अधिकार सक्षम राजस्व न्यायालय में ही निहित है। जंहा तक तनकी सं. 6 व 7 में उल्लेखित प्रतिवादी सं. 1

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से 3 की कब्जे सम्बन्धी दलील का प्रश्न है जहां किसी न्यायालय द्वारा पुश्तैनी आधार पर हकों के निर्धारित का बिन्दु विचारणीय होता है, वहां कब्जे का बिन्दु गौण होता है, किंतु प्रस्तुत प्रकरण में वादी गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों के अनुसार वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर वादी का लगातार कब्जा काश्त है। जहां तक प्रतिवादी सं. 1 से 3 की म्याद बिन्दु से सम्बन्धित दलील का प्रश्न है, खातेदारी घोषणा का वाद दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। किसी दस्तावेज को शून्य एवं निष्प्रभावी होने पर उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। लिहाजा तनकी सं. 5 से 8 प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी सं. 9– प्रतिवादी सं. 5 की प्रतिवादी सं. 4 व 5 के 1/4–1/4 हिस्से की सीमा तक पोकराराम द्वारा रामाराम उर्फ रायमलराम के पक्ष में निष्पादित पंजीयन शुदा फैमिली सैटलमेंट को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करते के प्रतिस्थापन से सम्बद्ध है। चूंकि तनकी सं. 1 से 3 के विवेचन में पोकराराम के चारों पुत्रों एवं परिवारों का 1/4–1/4 हिस्सानुसार हक साबित हो चुका है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी सं. 4 व 5 के 1/4–1/4 हिस्से की सीमा तक फैमिली सैटलमेंट दस्तावेज को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने एवं इसी अनुसार इनका हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी सं. 9 प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम सजाड़ा की खसरा संख्या 316,316/2 व 318 रकबा 17.00 बीघा, ग्राम चाडो की ढाणी की खसरा संख्या 456 रकबा 68.01 बीघा तथा ग्राम महादेवनगर की खसरा संख्या 153 रकबा 149.02 बीघा भूमि पोकराराम के चारों पुत्रों के पुश्तैनी हक एवं कब्जा काश्त की है तथा उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा होना साबित है। पोकराराम द्वारा अपने चारों पुत्रों में से केवल एक पुत्र– प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता–पति रामाराम उर्फ रायमलराम– के नाम समग्र वादग्रस्त भूमि का किया गया पंजीयन हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावद्यानों के विपरीत है।

लिहाजा वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं. 5 का काउन्टर क्लैम स्वीकार किया जाकर ग्राम सजाड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 316, 316/2 व 318 कुल रकबा 17.00 बीघा, ग्राम चाडो की ढाणी की खसरा संख्या 456 रकबा 68.01 बीघा तथा ग्राम महादेवनगर की खसरा संख्या 153 रकबा 149.02 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/4–1/4 हिस्सा वादी, प्रतिवादी सं. 4 व 5 प्रत्येक की तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 3 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh
Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सिणधरी को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। टीकमाराम की ओर से प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता–पति रामाराम उर्फ रायमलराम के पक्ष में निष्पादित फैमिली सैटलमेंट वादी व प्रतिवादी सं. 4 व 5 के 3/4 हिस्से के हक की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्व वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner